


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सू० न० ६५/१९

तारीखरजू:- 24/4/19

उनवान:- सरोज बनाम गुलाब वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
24/9/19	<p>प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 16.10.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख० न० 497/0.21, 493/0.25, 494/0.25, 507/0.30, 508/0.35, 509/0.42, 510/0.10, 513/650/0.07, 407/0.88, 408/0.17, 409/0.14, 411/0.33, 412/0.22, 433/0.16, 434/0.12, 435/0.11, 436/0.12, 437/0.11 कुल कित्ता 11 कुल रकवा 4.31 है० ग्राम माधोपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.10.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप-जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p> <p>16.10.19 प्रार्थी वकील उप० 18.0. स० अक्काश पर पट्टेरे व बस्ताजए रसीद आदि दिनांक 6.11.19 को पेश हो।</p>

4760-69
24.9.19

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क...

दिनांक	फर्द अहकाम
6.11.19	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण काफजूद सूचना उप० नही है P.O. ला० करौली मीलिंग में पधारें हैं आर्दना दिनांक 9.12.19 को पेश हो।
9.12.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण काफजूद सूचना उप० नही है उनके बिकर एक पक्षीप कार्यवाही की जाती है वरिष्ठ बडस दिनांक 10.1.20 को पेश हो।
10.1.20	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण अधिकारी करौली मीलिंग में पधारें हैं। नया पत्रावली गतानुसार दिनांक 27.1.20 को पेश हो।
27.1.20	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित लष्पो को दोहराते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण होने से कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी वकील की वरिष्ठ पत्रावली का अस्तित्व दिनांक 24.9.19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाना उचित है। अतः गैरसाफलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से दावा के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है। ग्राम माधोपुरा की भूमि ख. नं. 497/0.21, 493/0.25, 494/0.25, 507/0.30, 508/0.35, 509/0.42, 510/0.10, 513/650/0.07, 407/0.88, 408/0.17, 409/0.14, 411/0.33, 412/0.22, 433/0.16, 434/0.12, 435/0.11, 436/0.12, 437/0.11 कुलकित 17 कुल रकबा 4.31 हे० में रिफाई एवं मोके की प्रथास्थिति ज्ञाते रहने। पत्रावली के सल सुमार लोक नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

